राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन सं. 49/2017/कोटा

सहायक आयुक्त, वृत्त–ए, कोटा। ....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स कुन्तेश्वर एण्ड पार्टी, रेतवाली कोटा। ....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक। ......प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 29 .06.2017

निर्णय

1. प्रार्थी विभाग द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 83/2010/कोटा में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.11.2016 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2. राजस्व द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 23.07.2009 की पालना में प्रार्थी द्वारा अपना आदेश दिनांक 27.06.2011 पारित किया जा चुका था, परन्तु सहवन से उक्त आदेश कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील संख्या 83/2010/कोटा के रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस कारण समन्वय खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2016 द्वारा राजस्व की अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। कर बोर्ड के उक्त आदेश दि0 23.11.2016 की प्राप्ति पर प्रार्थी ने प्रतिप्रेषण की पालना में पारित आदेश दिनांक 27.06.2011 की प्रति प्रस्तुत की एवं पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 की पालना में प्रार्थी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 27.06.2011 पारित कर दिया है, जिसको रिकार्ड पर लिया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

राजस्व पक्ष की बहस सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 23.07.2009 की पालना में प्रार्थी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 27.06.2011 पारित कर दिया गया था, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल अपील संख्या 83/2010/कोटा में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि दिनांक **27.06.2011** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप अपील संख्या 83/2010/कोटा ''सारहीन'' हो जाने से खारिज की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

29/6/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष